उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-6/2023/।/264837/2023-71-2002(002)/1/2021
लखनऊः दिनांक 20 जनवरी, 2023

<u>शुद्धि पत्र</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ हेतु गैर वेतन मद के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु पंचम किश्त की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1/2023/।/255691/2022/009-71-2002-002-1-2021, दिनांक 02.01.2022 निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट shasanadesh.up.gov.in पर प्रदर्शित उक्त शासनादेश में त्रुटिवश दिनांक 02 जनवरी, 2022 तथा पृष्ठांकन मे मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ टंकित हो गया है, जबकि दिनांक 02.01.2022 के स्थान पर दिनांक 02.01.2023 एवं पृष्ठांकन मे मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ होना चाहिए।

2- अतः उक्त शासनादेश संख्या-1/2023/।/255691/2022/009-71-2002-002-1-2021, दिनांक 02.01.2022 में अंकित दिनांक 02.01.2022 के स्थान पर दिनांक 02.01.2023 एवं पृष्ठांकन मे मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ पढ़ा एवं समझा जाए।

3- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

प्रेम शंकर तिवारी,
अनु सचिव।

<u>संख्या-6/2023/।/264837/2023-71-2002(002)/1/2021, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ /प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।